राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड
87वीं बैठक दिनांक 11 जनवरी, 2024

कार्यवृत

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड की 87वीं बैठक दिनांक 11 जनवरी, 2024 को अपर मुख्य सचिव, वित्त, उतराखण्ड शासन की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में सचिव, पशुपालन एवं सहकारिता, अपर सचिव, ग्राम्य विकास, अपर सचिव, समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण, अपर सचिव, पर्यटन, संयुक्त सचिव, राजस्व, उप सचिव, एम.एस.एम.ई., उतराखण्ड शासन, रेखीय विभागों के उच्च अधिकारियों, महाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक, मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, मुख्य महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति एवं महाप्रबन्धक (नेटवर्क–2), भारतीय स्टेट बैंक, आई.पी.पी.बी., अध्यक्ष, इन्डस्ट्रियल एसोशियेशन, उत्तराखण्ड, राज्य में कार्यरत बैंकों के उच्च अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

बैठक में एजेण्डेवार बिभिन्न बिन्दुओं पर निम्नवत चर्चा की गयी :

1. राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की उप–समितियों की बैठक :

- सचिव, पशुपालन एवं सहकारिता, उतराखण्ड शासन द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड द्वारा आयोजित उप–समितियों की बैठकों में बैंक के उच्च अधिकारियों द्वारा प्रतिभागिता की जाय, ताकि बैठक का उद्देश्य सार्थक हो एवं बैठक में यथासमय उचित निर्णय लिये जा सके।
- मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि उप–समितियों की बैठकों में लिये गये निर्णयों एवं आवश्यक बिन्दुओं को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के एजेण्डा में दर्शाया जाय।

(कार्यवाही : एस.एल.बी.सी./समस्त बैंक)

2. विकसित भारत संकल्प यात्रा :

- मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान के दौरान बैंकिंग/वित्तीय समावेशन से सम्बन्धित योजनाओं अंतर्गत किये गये कार्यो को अधिकांश बैंकों द्वारा पोर्टल पर अपलोड नही किया जा रहा है। अतः बैंकों से आग्रह है कि वे पोर्टल पर अपलोड करने का कार्य करें।
- अध्यक्ष महोदय द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य सार्थक बनाने हेतु निम्नवत निर्देशित किया गया :
  - ➢ विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान अग्रणी जिला प्रबन्धक, अपने जिले की समस्त ग्राम पंचायतों को कवर करते हुये जन सुरक्षा पोर्टल में PMJJBY, PMSBY, PMJDY, APY, Stand up India, Mudra योजनाओं अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों के डाटा फीड करें।
  - ➢ बैंक शाखायें पी.एम. सम्मान निधि के लाभार्थीयों, जो कि के.सी.सी. योजना से वंचित हैं, को के.सी.सी. ऋण प्रदान कर, उनके डाटा, फसल बीमा पोर्टल में फीड करें।
  - ➢ बैंक शाखायें के.सी.सी. योजना से वंचित किसानों के डाटा किसान ऋण पोर्टल में फीड करें।

(कार्यवाही : समस्त बैंक/अग्रणी जिला प्रबन्धक)

Generated from eOffice by ANIL KUMAR SHARMA, ADVISOR BANKING-AKS-Institutional Finance Cell, ADVISOR BANKING, Finance Department on 02/02/2024 0

3. <u>किसान क्रेडिट कार्ड संतृप्तता अभियान</u> :

- सचिव, पशुपालन एवं सहकारिता, उतराखण्ड शासन द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि के.सी.सी.–पशुपालन एवं मत्स्य पालन में बैंकों के पास क्रमशः 22633 एवं 224 ऋण आवेदन पत्र हैं, जिनको निष्पादित करने से योजना अंतर्गत वार्षिक लक्ष्य प्राप्त किये जा सकते है, अतः समस्त बैंकों से आग्रह है कि वे उक्त ऋण आवेदन पत्रों का निष्पादन करें।
- अध्यक्ष महोदय द्वारा समस्त बैंक नियंत्रकों को निर्देशित किया गया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान की समाप्ति तक उक्त ऋण आवेदन पत्रों को निष्पादित करें।

(कार्यवाही : समस्त बैंक)

4. <u>पी.एम. विश्वकर्मा योजना</u> :

- अपर सचिव, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड शासन द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि उक्त योजना अंतर्गत आतिथि तक लगभग 17500 आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं, जिनमें से 14000 आवेदन पत्रों को विभिन्न बैंकों एवं एस.एल.बी.सी. द्वारा सत्यापित कर दिया गया है।
- अध्यक्ष महोदय द्वारा समाज कल्याण विभाग को निर्देशित किया गया कि एस.एल.बी.सी. से समन्वय कर योजना के क्रियान्वयन हेतु कार्ययोजना तैयार की जाय तथा योजना अंतर्गत प्रगति दर्ज करें।

(कार्यवाही : समाज कल्याण विभाग)

5. <u>प्रधानमंत्री जनजातिय अदिवासी न्याय महा अभियान (PM-JANMAN)</u> :

- अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नवत निर्देशित किया गया :
  - ➢ समाज कल्याण विभाग लाभार्थियों के वास्तविक आंकड़े प्रस्तुत करें।
  - ➢ अध्यक्ष महोदय द्वारा समाज कल्याण विभाग को निर्देशित किया गया कि एस.एल.बी.सी. से समन्वय कर योजना के क्रियान्वयन हेतु कार्ययोजना तैयार की जाय तथा योजना अंतर्गत प्रगति दर्ज करें।

(कार्यवाही : समाज कल्याण विभाग)

6. <u>फसल बीमा योजना</u> :

- अपर निदेशक, कृषि, कृषि निदेशालय, द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि रबी–2023–24 में पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) अंतर्गत बीमित करने की अवधि दिनांक 15.01.2024 तक बढा दी गयी है। अतः बैंको से आग्रह है कि वे अधिक से अधिक किसानों की फसल का बीमा करें तथा समय पर पोर्टल पर अपलोड करें।

(कार्यवाही : समस्त बैंक)

7. <u>वार्षिक ऋण योजना 2023–24 में प्राथमिकता क्षेत्र अंतर्गत ऋण उपलब्धि</u> :

- मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि कृषि क्षेत्र में फसली ऋण में प्रगति आशा के अनुरुप नही है। अतः बैंकों से आग्रह है कि वे कृषि क्षेत्र अंतर्गत फसली ऋण क्षेत्र में अधिक से अधिक ऋण वितरित करें। बैंकों द्वारा फसली ऋण हेतु, निर्धारित वित्त–मान (scale of finance) से अधिक ऋण भी प्रदान किया जा सकता है।

(कार्यवाही : समस्त बैंक)

Generated from eOffice by ANIL KUMAR SHARMA, ADVISOR BANKING-AKS-Institutional Finance Cell, ADVISOR BANKING, Finance Department on 02/02/2024 0

8. <u>रोजगार सृजन ऋण योजनाओं की प्रगति</u> :

- अपर सचिव, पर्यटन, उत्तराखण्ड शासन द्वारा सदन को निम्नवत अवगत कराया गया :
  - ➢ बैंकों में होम स्टे योजना अंतर्गत ऋण स्वीकृति में डेढ़ माह से अधिक का समय लग रहा है।
  - ➢ एस.एल.बी.सी. राज्य में कार्यरत बैंक नियंत्रकों एवं empanelled valuers की सूची प्रेषित करने का कष्ट करें।
- सहायक निदेशक, शहरी विकास निदेशालय द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि पी.एम. स्वनिधि योजना अंतर्गत 1st Tranche में भारत सरकार द्वारा योजना अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गयी है। अतः बैंकों से आग्रह है कि वे निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करें।
- सचिव, पशुपालन एवं सहकारिता, उतराखण्ड शासन द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि एन.एल.एम. योजना अंतर्गत आतिथि तक 208 ऋण आवेदन पत्र बैंक शाखाओं को प्रेषित किये गये हैं तथा बैंक शाखाओं में 166 ऋण आवेदन पत्र लम्बित हैं। बैंकों से आग्रह है कि वे लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण करें।
- उप निदेशक, उद्यान द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि पी.एम.एफ.एम.ई. योजना अंतर्गत आतिथि तक निर्धारित लक्ष्य 1758 के सापेक्ष 1644 ऋण आवेदन पत्र बैंक शाखाओं को प्रेषित किये गये हैं, जिनमें से 544 स्वीकृत, 665 निरस्त एवं 351 बैंक शाखाओं में लम्बित हैं। बैंकों से आग्रह है कि वे लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण करें।
- अपर सचिव, समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण उतराखण्ड शासन द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि SCP-Minority योजना अंतर्गत आतिथि तक 124 ऋण आवेदन पत्र बैंक शाखाओं में लम्बित है। बैंकों से आग्रह है कि वे लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण करें।
- अपर सचिव, ग्राम्य विकास, उतराखण्ड शासन द्वारा सदन को निम्नवत अवगत कराया गया :
  - ➢ वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक एन.आर.एल.एम. योजना अंतर्गत लक्ष्यों की प्राप्ति कर ली जायेगी।
  - ➢ सरकार प्रायोजित ऋण योजनाओं में निजी बैंकों का योगदान नगण्य है। राज्य के विकास हेतु निजी बैंकों द्वारा भी सरकार प्रायोजित ऋण योजनाओं में ऋण प्रदान किये जांय।
- उप निदेशक, एम.एस.एम.ई. द्वारा बैंकों से आग्रह किया गया कि वे लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण करें, जिससे मार्जिन मनी हेतु निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति संभव हो सके।
- सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि माह दिसम्बर, 2023 में राज्य में आयोजित Investors summit 2023 में प्रतिभागी उद्यमियों **<u>से</u>** वित्तपोषण हेतु वार्तालाप के लिए भारतीय स्टेट बैंक द्वारा एक टीम का गठन किया गया है।
- अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नवत निर्देशित किया गया :
  - ➢ माह दिसम्बर, 2023 में राज्य में आयोजित Investors summit 2023 के उद्देश्य को धरातल पर उतारने हेतु अन्य बैंक भी प्रतिभागी उद्यमियों से वित्तपोषण हेतु वार्तालाप करें, जिससे राज्य के ऋण–जमा अनुपात में वृद्वि हो सके।
  - ➢ उद्यान विभाग, पशुपालन विभाग, कृषि विभाग एवं समाज कल्याण विभाग क्रमशः पी.एम.एम.एफ.एम.ई., एन.एल.एम., ए.आई.एफ. एवं SCP-SC/Minority की लम्बित ऋण आवेदन पत्रों के डाटा बैंकवार, शाखावार एवं जिलेवार एस.एल.बी.सी. को प्रत्येक माह अनुवर्ती कार्यवाही (follow up) हेतु प्रेषित करें।
  - ➢ सम्बन्धित विभाग बैंक नियंत्रकों से लम्बित ऋण आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु वार्तालाप करें।

(कार्यवाही : एस.एल.बी.सी./उद्यान विभाग/पशुपालन विभाग/कृषि विभाग/समाज कल्याण विभाग/अन्य सम्बन्धित विभाग/समस्त बैंक)

Generated from eOffice by ANIL KUMAR SHARMA, ADVISOR BANKING-AKS-Institutional Finance Cell, ADVISOR BANKING, Finance Department on 02/02/2024 0

9. नाबार्ड :

मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड द्वारा सदन को अवगत कराया गया

- मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड द्वारा सदन को निम्नवत अवगत कराया गया :
  - ➢ वित्तीय साक्षरता केन्द्र (सीएफएल) के फेज–2 के अंतर्गत राज्य में 16 सीएफएल के संचालन हेतु प्रायोजित बैंकों द्वारा किये गये व्यय को क्लेम हेतु नाबार्ड को प्रेषित करने का कष्ट करें।
  - ➢ राज्य की goat valley में ऋण की सम्भाव्यता को मध्यनजर रखते हुये बैंक बकरी पालन हेतु कार्य योजना तैयार करें तथा योजना अंतर्गत अधिक से अधिक ऋण प्रदान करें।
  - ➢ एस.एल.बी.सी. की बैठक में ऋण जमा अनुपात एवं अन्य योजना विषयक भी चर्चा की जाय।
  - ➢ अधिकांश जिलों में बी.एल.बी.सी. की बैठक नियमित रुप से आयोजित नही की जा रही है।

(कार्यवाही : भारतीय स्टेट बैंक/पंजाब नेषनल बैंक/बैंक ऑफ बड़ौदा एवं अन्य समस्त बैंक/अग्रणी जिला प्रबन्धक)

10. प्राथमिक क्षेत्र अंतर्गत ऋण प्रवाह :

- अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि ऋण प्रवाह बढ़ाने हेतु जिला टिहरी, बागेश्वर एवं रुद्रप्रयाग के जिला अधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी को अर्ध सरकारी पत्र प्रेषित किया जाय।

(कार्यवाही : वित्तीय विभाग)

11. बैंकिंग सेवाओं से अनाच्छादित गाँव

- सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि जन धन दर्शक ऐप के अनुसार बैंकिंग सेवाओं से अनाच्छादित ग्राम गरुड़िया, जिला रुद्रप्रयाग विषयक अवगत कराना है कि उक्त गांव में वर्तमान में मात्र 10 साधु निवास कर रहे हैं। इस विषयक जिला रुद्रप्रयाग की डी.एल.आर.सी. बैठक दिनांक 08.11.2023 में चर्चा की गयी तथा उक्त गांव को बैंकिंग सुविधा की आच्छादता से मुक्त किये जाने हेतु सदन द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।
- जिला रुद्रप्रयाग की डी.एल.आर.सी. की बैठक में व्यक्त की गयी सहमति के अनुक्रम में एस.एल.बी.सी. की बैठक में ग्राम गरुड़िया, जिला रुद्रप्रयाग को बैंकिंग सुविधा की आच्छादता से मुक्त किये जाने हेतु सदन द्वारा भी सहमति व्यक्त की गयी।

सहायक महाप्रबन्धक
(राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड)

Generated from eOffice by ANIL KUMAR SHARMA, ADVISOR BANKING-AKS-Institutional Finance Cell, ADVISOR BANKING, Finance Department on 02/02/2024 0